तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **चुन्नी वगैरह बनाम लीला वगैरह मुकदमा संख्या :– 200/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
16.07.2024		

अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा जाखल के खेत खसरा संख्या 227 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा संख्या 479 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 480 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 482 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा संख्या 663 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 694 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 695 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 696 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 697 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 698 रकबा 2.69 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.03 हैक्टेयर में आये हुए है। उक्त भूमि प्रार्थीयागण के पुश्तैनी बाद–दादों की कब्जासूदा है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीया संख्या 1 व 1/2 हिस्सा प्रार्थीया संख्या 2 का मालिकाना हक हकूक व स्वामित्व कब्जे का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण के बाप–दादों की होने से प्रार्थीयागण का वादग्रस्त भूमि में जन्मसिद्व हक–हकूक है, तथा इसी अनुसार प्रार्थीयागण के पिता धीरा की मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी प्रार्थीयागण है। प्रार्थीयागण के पिता की मृत्यु होने पर धीरा का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीयागण का वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज करना था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लीला ने राजस्व ऐजेन्सी से मिलावट कर प्रार्थीयागण को अपने हक से वंचित करने के लिए प्रार्थीयागण का नाम दर्ज नहीं कर हक–हकूकों पर कुठाराघात किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लीला धीरा की कभी भी विधिवत् विवाहित पत्नी नहीं रही है। उसके बावजूद भी उनका नाम अवैध व विधि विरूद्व ढंग से दर्ज किया गया है। प्रार्थीयागण की माता भीखी थी, जो स्व. धीरा की विधिवत विवाहिता पत्नी थी, जिसकी कोख से प्रार्थीयागण का जन्म हुआ है। लीला स्व. धीरा की कभी विवाहिता पत्नी नहीं रही जिससे लीला का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई हक–हकूक व कब्जा या हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी लीला का अवैध व विधि विरूद्व नाम दर्ज होने से उसका नाजायज फायदा उठाकर लीला वादग्रस्त आराजी को आगे अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहती है जबकि वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी लीला को बेचान करने का कतई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थीयागण का जन्मसिद्व हक–हकूक व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होने से बेदखल करने का अप्रार्थीया को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीयागण के पिता धीरा के फौत होने व उनकी विवाहिता पत्नी भीखी के फौत होने पर प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का अवैध व विधि विरूद्व दर्ज नाम का नाजायज फायदा उठाकर भूमि को बेचान करने रहन करने या अन्य रूप से नामान्तरकरण की कार्यवाही में सफल हो जाते है तो अप्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। ,

अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीयागण अजनबी औरत है पहले वह अपना उतराधिकारी तय करवाये उसके बाद हक के लिए वाद पेश करें, क्योंकि वर्तमान में इस वाग्रस्त आराजी जो विगत 20 वर्ष से अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीयागण का इस भूमि में कोई सरोकार नहीं रहा है तथा न प्रार्थीयागण के पास प्रथम दृष्टया इस भूमि की हकदार होने का कोई सबूत है इसलिए प्रार्थीयागण किसी कदर इस भूमि की हकदार नहीं है। वाद के निर्णय तक एक क्षण के लिए प्रार्थीयागण को हकदार मान लिया जाता है तो कुल आराजी 7.03 हैक्टेयर है। जिसमें 1/3 हिस्सा भी प्रार्थीयागण के कहे अनुसार माने तो भी बेचान की गई भूमि लीला हक में आती है। प्रार्थीयागण बेचान की गई भूमि पर किसी कदर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं पा सकती। अप्रार्थीया लीला वृद्व औरत है उसके जीवन यापन के लिए उक्त भूमि में से कुछ भूमि बेचान कर अपनी जिन्दगी जी रही है, अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांती अध्ययन व अवलोकन किया गया [illegible] प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:19:20 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जाखल के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर